संख्या 1885 / XV-1 / 24 / 47272

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 03 दिसम्बर, 2024

विषयः नाबार्ड की आर०आई०डी०एफ०–xxx योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1 / 31771 / 2024 / नि0–5 / एक(59) / RIDF / 2024–25 दिनांकः 08.11.2024 **(प्रति संलग्न)** के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुपालन विभाग के अन्तर्गत नाबार्ड पोषित आर०आई०डी०एफ० फेज xxx के अन्तर्गत 12 परियोजनाओं हेतु उपरोक्त पत्र में उल्लिखित विवरणानुसार, नाबार्ड द्वारा अवमुक्त 30 प्रतिशत मोबेलाईजेशन एडवांस धनराशि रू0 946.89 लाख **(रू0 नौ करोड छियालिस लाख नवासी हजार मात्र)** निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. नाबार्ड ऋण के रूप में अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित नाबार्ड से प्रतिपूर्ति दावा ससमय शासन तथा नाबार्ड को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। निदेशक पशुपालन, आहरण वितरण अधिकारी एवं संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों का दायित्व होगा कि वे नाबार्ड से समन्वय स्थापित कर ऋण के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करेंगे, तथा कृत कार्यवाही से ससमय शासन को भी अवगत करायेंगे। इस सम्बन्ध में दिए गये निर्देशों का अनुपालन न किए जाने पर निदेशक पशुपालन / आहरण वितरण अधिकारी / संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
2. अवमुक्त / स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता / दुरूपयोग / दोहरीकरण (Doubling) निर्धारित मानको के विपरीत निर्माण कार्य एवं न्यून गुणवत्ता पाये जाने पर निदेशक पशुपालन, आहरण वितरण अधिकारी, मुख्य अधिशासी अधिकारी यू0एल0डी0बी0, संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी तथा कार्यदायी संस्था पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
3. निदेशक, पशुपालन / संबंधित अपर निदेशक, पशुपालन एवं संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा समय–समय पर किए जा रहे निर्माण कार्य, कार्य की गुणवत्ता एवं उपयुक्तता का निरीक्षण किया जायेगा तथा कार्य निर्धारित मानकों, डिजाईन एवं गुणवत्ता के विपरीत पाये जाने पर संबंधित कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा तत्संबंधी जाँच आख्या शासन को भी प्रेषित की जानी आवश्यक होगी।

4 उक्त धनराशि इस शर्त के साथ आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि कार्य योजना हेतु अनुबंधित कार्यदायी संस्थाओं को उनके साथ हुए अनुबन्ध/एम०ओ०यू० हेतु भुगतान की निहित शर्तों के अनुसार कार्य की भौतिक प्रगति, उच्च गुणवत्ता एवं सन्तोषजनक कार्य की पुष्टि के पश्चात ही आवश्यकतानुसार भुगतान किया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 द्वारा निर्धारित शर्तों एंव प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

6. स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (यथा संशोधित नियमावली) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006)/दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में शासन की पूर्वानुमति के बिना अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

9. कार्य हेतु अनुमोदित आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार दर से ली गयी हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

10. धनराशि का आहरण व व्यय तभी किया जायेगा, जब विभाग द्वारा नाबार्ड से योजनाओं को पूर्ण किये जाने की अवधि का विस्तार संबंधी स्वीकृति तथा प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करने के साथ नाबार्ड की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।

11. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत मदवार धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

12. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

13. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय तथा आगंणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु कार्यदायी संस्था के संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

14. कार्य की प्रगति निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं०–475/XXVII(7)/2008 से दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम०ओ०यू० अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकत धनराशि को व्यय करने, कार्य पूर्ण होने पर भौतिक प्रगति, निर्माण कार्य एवं अधिप्राप्ति से सम्बन्धित सामग्री/उपकरणों के फोटो ग्राफ्स शासन को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक –4403–पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय–00–106–अन्य पशुधन विकास–98–नाबार्ड पोषित– 01–नाबार्ड पोषित योजनाएं के 53–वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–20135809(150)–2019 / XXVII(1) / 2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

Signed by
Rajendra Kumar Bhatt
Date: 03-12-2024 14:49:26

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव

संख्या– (1) / XV-1 / 24 / 47272 एवं तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. अपर निदेशक पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. सहायक महाप्रबन्धक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नं0–42, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
4. संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य अधिशासी अधिकारी, शीप बोर्ड, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Karam Ram
Date: 03-12-2024 15:31:35

(करम राम)
अनु सचिव